SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gonad Dist Blind (Mary)
Case No. 29/18 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
ARTER OF CONTROL OF THE STATE O
Name, parentage, caste and address of accused
OLESCA 20 3 CHASTE 3856
हिला है एवं प्राणां है पर अभियुक्त में स्वेद्धापूर्वक है। है स्वाप्ता प्रविकार कर में
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
The offence, complainant of, and date of, to
आप पर आरोप है कि दिनांक 28-10-17 मुकाम
आप पर आरोप ह कि पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने अधिपत्य में 27 लीटर/पाव/बोतन पर शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी।
्रेसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
ऐसा करक आपन आवकारा जानव रहा
अपराध कारित किया।
adi diladi diladi
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
a contract of the contract of
Talle De la

(आज दिनांक 218 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये प्रदर्भ शब्दों में जाने पर का साधारण का राधारण का राध
 - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति ... 2.2 वीटर/पाव/बोतल द्वाय शराब शराब गूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार का की को को को को को भागा अपील व्यायालय के आदेश का

The Parent Is

出事"。